केमाशिबो /निदे.(शैक्ष.)/2023 **दिनांक** : 21 **जुलाई** 2023

परिपत्र सं. : शैक्ष-84/2023

केमाशिबो से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुख

विषय :बहुभाषी शिक्षा और मातृभाषा का शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग

विद्यार्थियों के बीच भाषाई विविधता, सांस्कृतिक समझ और शैक्षणिक सफलता को बढ़ावा देने की दिशा में बहुभाषी शिक्षा को महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्रदान की गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 4.12 में, युवा शिक्षार्थियों के लिए बहुभाषिकता के महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक लाभों पर बल दिया गया है, विशेष रूप से जब उन्हें अपनी मातृभाषा पर विशेष ध्यान देने के साथ, मूलभूत स्तर पर कई भाषाओं से अवगत कराया जाता है। नीति में दृढ़ता से समर्थन किया गया है कि जहां तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 तथा अग्रिम कक्षाओं में, मूल भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाए।

बहुभाषिक शिक्षा के कार्यान्वयन और शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग करने में कई चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। कुछ प्रमुख बाधाओं में बहुभाषी में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, उच्च-गुणवत्ता वाली बहुभाषिक पाठ्यपुस्तकें तैयार करना, सीमित समयसीमा, विशेषत: द्विपालित सरकारी विद्यालयों में, क्योंकि बहुभाषी में शिक्षा प्रदान करने में अतिरिक्त शिक्षण समय की आवश्यकता रहती है।

उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा को मूल स्तर पर साकार करने के लिए कई उपाय किये हैं। उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी को 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के माध्यम से नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का निर्देश देना है। एनसीईआरटी ने इस गंभीर कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया है ताकि अगले सत्र से सभी विद्यार्थियों को 22 अनुसूचित भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें।

उच्च शिक्षा ने भी भारतीय भाषाओं के माध्यम से पाठ्यपुस्तकें तैयार करने और अंग्रेजी माध्यम के अतिरिक्त भारतीय भाषा माध्यमों से शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया शुरू करने और भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने की तैयारी भी आरम्भ कर दी है। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, कानून शिक्षा आदि की पाठ्यपुस्तकें अब भारतीय भाषाओं के माध्यम में आ रही हैं।

चूँकि उच्च शिक्षा ने इस आवश्यकता को पूरा करना शुरू कर दिया है तो स्कूली शिक्षा को इसकी नींव बनना होगा। माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के दिशा-निर्देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व है कि दोनों स्तरों के बीच माध्यम का चयन एक संगतता और नियमितता के साथ होना चाहिए। अत:, सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करके इस महान प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की सुविधा प्रदान करने की दिशा में की गई उपरोक्त पहलों को ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित भारतीय भाषाओं का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। इससे प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक, अर्थात् पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं से लेकर बारहवीं कक्षा तक, भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो अन्य उपलब्ध विकल्पों के साथ एक विकल्प हो सकता है। विद्यालय उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन सकते हैं, क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श कर सकते हैं और सीबीएसई विद्यालयों में बहुभाषी शिक्षा को वास्तविकता बनाने के लिए सर्वोत्तम अनुभवों को साझा करने के लिए अन्य विद्यालयों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

डॉ. जोसफ इमानुवल
निदेशक (शैक्षणिक)

नीचे दर्शाए अनुसार निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के संबंधित प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ प्रति:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया,नोएडा-201,309
3. सचिव, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सचिव, सैनिक विद्यालय सोसायटी, कमरा नंबर 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001
5. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक विद्यालय नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005
6. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110 054
7. सार्वजनिक निर्देश निदेशक (विद्यालय), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ -160017

8. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
9. विद्यालय शिक्षा निदेशक, । अरुणाचल प्रदेश सरकार ईटानगर -791 111
10. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
11. विद्यालय शिक्षा निदेशक, लद्दाख, कमरा नंबर 101-102, भूतल, परिषद सचिवालय, कुर्बाथांग, कारगिल - लद्दाख
12. विद्यालय शिक्षा निदेशक, आंध्र प्रदेश, तीसरी मंजिल, बी ब्लॉक, अंजनेय टावर्स, वीटीपीएस रोड, भीमाराजू गुट्टा, इब्राहिमपटनम, आंध्र प्रदेश - 521 456
13. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएसईएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली
14. सेना शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली -110001
15. सचिव, एडब्ल्यूईएस रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट -110010
16. अध्यक्ष, केमाशिबो के उप सचिव
17. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/सभी निदेशक, केमाशिबो
18. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को भेजें।
19. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सहायक सचिव, केमाशिबो
20. सभी प्रमुख/प्रभारी, उत्कृष्टता केंद्र, केमाशिबो
21. प्रभारी आईटी एकक को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को केमाशिबो की शैक्षणिक वेबसाइट पर डाला जाए
22. प्रभारी, पुस्तकालय
23. रिकॉर्ड फ़ाइल

निदेशक (शैक्षणिक)